

प्रेषण,

श्री ज्ञानीष गोगुली,  
तेजु वा सर्विय  
उत्तर पुष्टे भासन ।

तिथा ५

संक्षिप्त  
क्षमाय माध्यमिक शिखा परिवर्त  
शिखा केन्द्र २ संकुलय केन्द्र  
प्रीति विद्वार नदी दिल्ली ।

शिखा १७१ उनुभाग

तिथि: दिनांक: ७ अग्रेष, 1998

विषय:- इन तकनीय आवालीय रूप क्षमा केन्द्र इताया को सी०बी०स्त०ई नदी दिल्ली से सम्बद्धता हेतु ज्ञापतित प्रमाण पत्र दिया जाना ।

मानोदय,

उपर्युक्त विषयक पर मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि इन तकनीय आवालीय क्षिक्षाक्रम रूप क्षमा केन्द्र इताया को सी०बी०स्त०ई नदी दिल्ली से सम्बद्धता हेतु ज्ञापतित प्रमाण पत्र दिये जाने में इस राज्य तरकार को निम्नलिखित प्रतिक्रियाएँ के अधीन आपतित नहीं है :-

111 विद्यालय की पंचीकृत तौतायटी का सम्बन्ध पर नदीनीकरण इताया जायेगा ।

121 विद्यालय की प्रबन्ध समिति में शिखा निर्देशक द्वारा भागित एक सदस्य होया ।

131 विद्यालय में कम से कम दूर पुरियात स्थान उनुचूचित जाति/ अनुचूचित जनजाति के बच्चों के लिए तुरहित रहेंगे और उनसे उत्तर पुष्टे माध्यमिक शिखा परिवर्त द्वारा तैयारित विद्यालय में विभिन्न व्याख्याएँ के लिए नियमित सुन्नक ते उपिक सुन्नक नहीं शिखा जायेगा ।

141 तैत्या द्वारा राज्य तरकार ने ज्ञानी उनुदान की गोंग नहीं की जायेगी और वह पूर्व में विद्यालय माध्यमिक शिखा परिवर्त है प्रतिक शिखा परिवर्त है मान्यता प्राप्त है तथा विद्यालय की सम्बद्धता केन्द्रीय माध्यमिक शिखा परिवर्त/लौतित कार दि छण्डियन रूप तटी किलेट इवजाक्सिम नेदी दिल्ली से प्राप्त होती है तो उस परीक्षा परिवर्तों से सम्बद्धता प्राप्त होने की तिथि है परिवर्त है मान्यता तथा राज्य तरकार ने उनुदान स्वतः समर्पण हो जायेगी ।

151 तैत्या शैक्षिक सर्वे शिखज्ञेतार कर्मियातियों को राज्यकोष सहायता प्राप्त शिख संस्कारों के कर्मियातियों को अनुभव्य वैत्सव्यानां तथा अन्य भूतों से कम पैलमान तथा अन्य भूतों नहीं दिये जायेंगे ।

16। कर्मियों की तेवा श्रीं कायी जायेगी और उन्हें तदायता प्राप्त अंतर्काल उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के कर्मियों की अनुकूलता निवृत्ति का ताम उपलब्ध कराये जायेगी ।

17। राज्य सरकार द्वारा सम्बलपुर पर जो भी झाड़ी निर्गत छिपा जायेगे, तेस्या उनका पालन करेगा ।

18। विद्यालय का रिफाई निर्धारित प्रवद/वैजिकाओं में रहा जायेगा ।

19। उस शर्तों में राज्य सरकार के पूर्वानुदान के किए होइ परिवर्ती संशोधन वा परिवर्धन नहीं किया जायेगा ।

2- उसके प्रतिबन्धों का पालन करना संस्था के लिए अनिवार्य होगा और यदि किसी सम्बलपुर पाया जाता है कि संस्था द्वारा उसके प्रतिबन्धों का पालन नहीं किया जा रहा है अथवा पालन करने में किसी प्रकार की घूँफ या शिक्षिता बरती जा रही है तो राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त अनापत्ति प्रभाव पत्र दायत हो दिया जायेगा ।

भवदीय,

अधिकारी  
तंत्रज्ञन संविधि ।

पृष्ठा 867111/15-7-1998 द्वितीय

प्रतिलिपि निम्नलिखित दो तृणार्थ स्वं जावायड कार्याली हेतु देखित

1- शिक्षा निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।

2- मर्डीलीय संघर्ष शिक्षा निदेशक कानपुर ।

3- किए विद्यालय निरीक्षक, हाटोपाड़ा ।

*✓* 4- निरीक्षक, झाँग भारतीय विद्यालय उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।

*✓* 5- प्रबन्धक, इन स्कूलीय जावातीय स्कूल विद्यालय हाटोपाड़ा । 206001 ।

संस्था द्वा.

अधिकारी  
तंत्रज्ञन संविधि ।

2